भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **818** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

सागरमाला परियोजना की स्थिति

† 818. डॉ. भोला सिंह:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने और तटीय बुनियादी ढांचे में सुधार करने में सागरमाला परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) देश में सागरमाला पहल के तहत पूरी की गई प्रमुख बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) परिचालित बंदरगाहों पर सुरक्षा उपायों और पर्यावरण मानकों में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार के पास बंदरगाह विकास के माध्यम से भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कोई भविष्य की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): सागरमाला कार्यक्रम, भारत की 7,500 कि.मी. लंबी तटरेखा और 14,500 कि.मी. संभाव्य नौचालन जलमार्गों तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर सामरिक स्थान का उपयोग करते हुए देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की फ्लैग शिप योजना है। सागरमाला कार्यक्रम के भाग के रूप में कार्यान्वयन के लिए लगभग 5.5 लाख करोड़ की अनुमानित लागत पर 800 से अधिक परियोजाओं की पहचान की गई है। इन परियोजनाओं को केन्द्रीय मंत्रालयों, आईडब्ल्यूएआई, भारतीय रेलवे, एनएचएआई, राज्य सरकार तथा महापत्तन आदि द्वारा कार्यान्वित किया गया है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, परियोजनाओं को पांच स्तंभों- पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन संपर्कता, पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण, तटीय सामुदायिक विकास तथा तटीय नौवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन में वर्गीकृत किया गया है।

सागरमाला के पांच स्तंभों के तहत पत्तन आधुनिकीकरण स्तंभ को शामिल करते हुए इसकी विस्तरित प्रगति **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग): सभी महापत्तन, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। देश में महापत्तनों की सुरक्षा केन्द्रीय औद्यागिक सुरक्षा बल द्वारा की जाती है। महापत्तनों में कंटेनर टर्मिनल ड्राई-थ्रू एक्सरे कंटेनर स्कैनर तथा कंटेनरीकृत कार्गो स्कैनिंग के लिए मोबाइल स्कैनर से लैस है। देश में महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों (गैर-महापत्तनों) का रख-रखाव राज्य सरकार/ राज्य समुद्री बोर्डों द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय ने महापत्तनों के अलावा सभी अन्य पत्तनों (गैर-महापत्तनों) में अनुपालन हेतु दिनांक 11.03.2016 को सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सभी महापत्तनों में कार्बन गहनता को कम करने तथा पर्यावरण अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने के लिए "हरित सागर" ग्रीन पत्तन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत, पोत-से-तट तक पोत विद्युत आपूर्ति, पत्तन उपकरण का विद्युतिकरण, वैकल्पिक ईंधन जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन/ ग्रीन अमोनिया/ मैथेनॉल का पोर्ट क्राफ्टों में उपयोग, चयनित पत्तनों में भंडारण, बंकरिंग तथा ग्रीन हाइड्रोजन/ ग्रीन अमोनिया के रिफ्यूलिंग के लिए अवसंरचना का सृजन, नवीकरणीय ऊर्जा भाग में वृद्धि आदि जैसे विभिन्न हरित हस्तक्षेप प्रदान किए गए हैं।

(घ) और (ङ): मंत्रालय ने एक व्यापक रोड मैप- मैरीटाइम अमृतकाल विज़न, 2047 तैयार किया है जिसमें विकास को गति देने के उद्देश्य से सामरिक विषयों पर विभिन्न पहलों को शामिल किया गया है। इसमें अगले जनरेशन के पत्तनों, पोत निर्माण, पोत मरम्मत एवं पुनर्चक्रण सुविधाओं, समुद्री शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास करके एक सुरक्षित, संधारणीय और हरित समुद्री क्षेत्र को स्थापित करना शामिल है।

अनुबंध-I

सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं का सार

क्रम सं.	स्तंभ	पूरी की गई		कार्यान्वयन के अधीन		विकासाधीन		कुल (करोड़ रु. में)
		सं.	पूरी की गई परियोजनाओं की लागत (करोड़ रु. में)	सं.	कार्यान्वयन के अधीन (करोड़ रु. में)	सं.	विकासाधीन (करोड़ रु. में)	
1	तटीय सामुदायिक विकास	21	1,559	32	6,166	28	3,847	11,573
2	तटीय पोत परिवहन और आईडब्ल्यूटी	43	2,956	63	4,665	125	6,980	14,601
3	पत्तन संपर्कता	91	57,997	57	68,010	131	80,366	206,373
4	पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण	9	45,865	3	9,247	2	625	55,737
5	पत्तन आधुनिकीकरण	98	32,066	62	76,561	74	182,652	291,279

*****